



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 493] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2011/चैत्र 1, 1933
No. 493] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2011/CHAITRA 1, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मार्च, 2011

क्र.आ. 609(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना काहा गया है) के अनुसार एवं राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में निम्नलिखित होंगे :—

1. श्रीमती आशा त्तरुप, —अध्यक्ष
मकान सं. 3, टाउन-VII
बेभमोर, कोटा हिमाला,
शिमला-171002
2. डॉ. सत्यानंद भारद्वाज, —सदस्य
आचार्य और विभागाध्यक्ष,
जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
डॉ. बाईएल, परमार बागवानी
और वन विरबविद्यालय,
नौनी, सोलन-173230
3. निदेशक, —सदस्य-
पर्यावरण विभाग, सचिव
विज्ञान और तकनीकी,
हिमाचल प्रदेश

2. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पत्र धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित है।
4. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश को सहायता करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को परामर्श से राज्य विशेषज्ञ नृत्यांकन समिति, हिमाचल प्रदेश (जिसमें इसके पश्चात् रा.वे.मू.स. हिमाचल प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री बल राम शर्मा, —अध्यक्ष
गांधी और डाकबर नेहराम पुखर,
देहरा तहसील, कांगड़ा जिला,
हिमाचल प्रदेश
2. डॉ. बी.बी. नैनी, —सदस्य
सहायक राजस्वद्वार (ज्येष्ठ वेतनमान),
हरणू प्रादेशिक केंद्र,
चौहान निवास, अलिनी,
शिमला-171002
3. डॉ. कुलराज सिंह कपूर, —सदस्य
वैज्ञानिक 'ब' शीर्ष विभागाध्यक्ष,
पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण,
हिमाचल वन अनुसंधान संस्थान,
कॉम्प्लेक्स कैम्प, पंथावाली,
शिमला-171009

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2011

S.O. 608(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Himachal Pradesh) comprising of the three members, namely, Chairman, Member and Member Secretary as under :—

4. श्री अशोक सूरजपत, —सदस्य
मकान नं. बी-425, सेक्टर-4, फेस-II,
डीएवी स्कूल के पास, चम्पा शिमला,
शिमला-171009
5. श्री राम मोहन गुप्ता, —सदस्य
ए-4, ब्लॉक-3, सुबेरी हिल्स,
छोटा शिमला,
शिमला-171002
6. डा. करतार लाल वर्मा, —सदस्य
आचार्य जीर विध्यालय, विज्ञान,
बानिकी महाविद्यालय,
डा. चाई एल. परमार बागवानी और वन
विश्वविद्यालय, काकहर तौली,
सोलन, हि.प्र.-173230
15. श्री दिनेश कुमार शर्मा, —सचिव
ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर,
हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बीसीएस के नीचे, 'दिनेशवेश' फेस-III,
चम्पा शिमला,
शिमला-171009

1. Smt. Asha Swarup, —Chairman
House No.5, Type-VII,
Benmore, Chota Shimla,
Shimla - 171002.

2. Dr. Satyavrat Bhardwaj, —Member
Prof. and Head,
Department of Biotechnology,
Dr. Y.S. Parmar University of
Horticulture and Forestry,
Nauni, Solan - 173230.

3. Director, —Member
Department of Environment,
Science and Technology,
Govt. of Himachal Pradesh
Secretary

2. The Chairman and members of the Authority, Himachal Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Himachal Pradesh shall exercise such powers and follow such procedure as are enumerated in the said Gazette notification.

4. The Central Government, to assist the Authority, Himachal Pradesh in consultation with the State Government of Himachal Pradesh, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as SEAC, Himachal Pradesh) comprising of the following Members, namely :—

1. Shri Bal Ram Sharma, —Chairman
Village and P.O. Nehran Fukhar,
Dehra Tehsil, Kangra District,
Himachal Pradesh

2. Dr. V.B. Negi —Member
Assistant Registrar (Sr. Scale),
IGNOU Regional Centre,
Chauhan Niwas, Khalini,
Shimla - 171002.

5. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगा।

6. रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित है।

8. रा.वे.मू.स., हिमाचल प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कृत्य पर कार्य करेगा और अध्यक्ष इसके मामले में महत्व पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि महत्व पर नहीं पहुंचता है तो बहुमत की राय अवलंबावी होगी।

9. हिमाचल प्रदेश सरकार प्राधिकरण के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को अधिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाह्य सभी वित्तीय तथा पत्रिक सहायता जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी हैं, प्रदान करेगी।

10. प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य की आजीवन फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता का संवय हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के निधनों के अनुसार किया जाएगा।

[सं. नं-11013/36/2007-आईए, II(C)]

तलिनो भट्ट, वैज्ञानिक "क"

